



24.07.2024:-वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी ने निवेदन किया कि लोक अदालत कि भावना से पक्षकारों के मध्य में आपस में राजीनाम हो गया है इसलिए वाद पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते। इसलिए वाद पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज (विद्धा) फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री राजेशदीप राय द्वारा की गई। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादी का वाद पत्र मौजूदा सूरत में विद्धा (खारिज) किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल  कर हो।

  
सहायक कलक्टर  
उपाखण्डा  
२०२४/०७/२४